प्रेस प्रकाशनी (പന്ത് റിലീസ്



भारतीय रिज़र्व बैंक ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക്

वेबसाइट : <u>www.rbi.org.in/hindi</u> വെബ്സൈറ്റ് : <u>www.rbi.org.in</u> ई-मेल/ **ഉമെയിൽ** : helpdoc@rbi.org.in





संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 ആശയവിനിമയ വകുപ്പ്, കേന്ദ്ര കാര്യാലയം , ഷാഹിദ് ഭഗത് സിംഗ് മാർഗ്, ഫോർട്ട്, മുംബൈ- 400 001 फोन/ഫോൺ: 022 - 2266 0502

26 दिसंबर 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री बसवेश्वर पट्टना सहकारा बैंक नियामित, सिंदगी, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा श्री बसवेश्वर पट्टना सहकारा बैंक नियामित, सिंदगी, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'पर्यवेश्वी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)' के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन के पर्यविक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुआ है, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक ने एसएएफ के अंतर्गत जारी निदेशों का पालन नहीं किया जब उसने उस क्षेत्र में अपना ऋण बढ़ाया जहां एनपीए का स्तर ऊंचा था और भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमित के बिना लाभांश की घोषणा की।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में किमयों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पेस प्रकाशनी: 2024-2025/1786

(पुनीत पंचोली) मुख्य महाप्रबंधक